उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र

तथा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सन्त कबीर नगर

द्वारा आयोजित

राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0

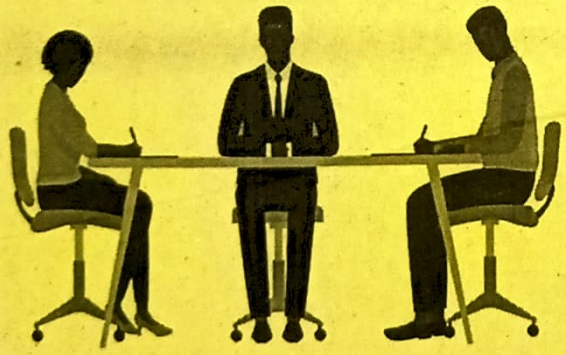
1 अगस्त, 2026 से प्रारम्भ

मध्यस्थता के लिए कौन से मामले संदर्भित किये जा सकते है?

- वैवाहिक विवाद मामले
- दुर्घटना दावे के मामले
- चेक बाउंस के मामले
- शमनीय अपराधिक मामले
- उपभोक्ता विवाद मामले
- ऋण वसूली के मामले/ सरफेसी मामले
- निष्पादन कार्यवाही से संबंधित मामले
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता के मामले
- वाणिज्यिक विवाद मामले
- सेवा संबंधी मामले
- बँटवारे से संबंधित मामले
- बेदखली से संबंधित मामले
- भूमि अधिग्रहण के मामले
- श्रम कानून से जुड़े मामले
- अन्य उपयुक्त सिविल मामले



मध्यस्थता की महत्वपूर्ण बातें एवं प्रक्रिया



अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें
अपने निकटतम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
तहसील विधिक सेवा समिति
अथवा
कॉल करें फ्री नंबर
18004190234, 15100

- उपरोक्त प्रकृति के मामलों को मध्यस्थता हेतु भेजने के लिए अपने न्यायालय से अनुरोध किया जा सकता है, जहाँ आपका मुकदमा लंबित है।
- मध्यस्थता कार्यवाही तहसील, जनपद स्तर पर लंबित वादों के लिए आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सप्ताह के सातों दिन आयोजित की जायेगी।
- मध्यस्थता का कार्य प्रशिक्षित एवं दक्ष मध्यस्थों द्वारा सम्पादित कराया जाता है।
- मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षकारों की सुविधा के अनुरूप ऑनलाइन/ ऑफलाइन दोनो प्रकार से संचालित की जा सकती है।
- मध्यस्थता सफल होने पर दोनों पक्षकारों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरण का निपटारा कराया जायेगा।
- मध्यस्थता असफल होने पर आपके मुकदमें पर कोई विपरीत प्रभाप नहीं पड़ेगा ।

सर्व सहायतार्थ सदा तत्पर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संत कबीर नगर